



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 8, 2013/आश्विन 16, 1935

No. 225]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 2013/ASVINA 16, 1935

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(अवसंरचना अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2013

एफ. सं. 13/6/2009-इंफ्रा.—सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची (अनुबंध-I) एतद्वारा अधिसूचित की जाती है।

शर्मिला चावलि, संयुक्त सचिव (आई एंड ई)

अनुबंध-I

अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची

क्र.सं.	श्रेणी	अवसंरचना उप-क्षेत्र
1.	परिवहन	<ul style="list-style-type: none"> सड़क और पुल पत्तन¹ अन्तर्देशीय जलमार्ग एयरपोर्ट रेलवे मार्ग, सुरंग, सेतु, पुल² शहरी लोक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टॉक के सिवाय)
2.	ऊर्जा	<ul style="list-style-type: none"> विद्युत उत्पादन विद्युत पारेषण विद्युत वितरण तेल पाईपलाइनें तेल/गैस/द्रवीभूत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा³ गैस पाईपलाइनें⁴

3.	जल और स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन • जल आपूर्ति पाइपलाइनें • जल शोधन संयंत्र • मलव्यय संग्रहण, प्रबंधन तथा निपटान प्रणाली • सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध आदि) • स्टोर्म वाटर निकासी प्रणाली • पतले मसाले की पाइपलाइनें
4.	संचार	<ul style="list-style-type: none"> • दूरसंचार (फिक्स्ड नेटवर्क)⁵ • दूरसंचार टावर • दूरसंचार और दूरसंचार सेवाएं
5.	सामाजिक तथा वाणिज्यिक अवसंरचना	<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षण संस्थाएं (कैपिटल स्टाक) • अस्पताल (कैपिटल स्टाक)⁶ • 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों से बाहर अवस्थित तीन-सितारा अथवा उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटल • औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन सुविधा तथा कृषि बाजार हेतु साझी अवसंरचना • उर्वरक (पूँजी निवेश) • कृषि तथा बागवानी उत्पाद हेतु शीत भंडारण सहित कटाई उपरान्त भण्डारण अवसंरचना • टर्मिनल बाजार • मृदा-परीक्षण प्रयोगशालाएं • प्रशीतन श्रृंखला⁷ • भारत में किसी भी स्थान पर स्थित वे होटल जिनमें प्रत्येक की परियोजना लागत⁸ 200 करोड़ रुपये से अधिक की है और वे किसी भी स्टार रेटिंग के हैं। • सम्मेलन केंद्र जिनमें प्रत्येक की परियोजना लागत⁸ 300 करोड़ रुपये से अधिक है।

¹ तलकपर्षण शामिल है।

² लोडिंग/अनलोडिंग टर्मिनलों, स्टेशनों तथा भवनों जैसी सहायक टर्मिनल अवसंरचना शामिल हैं।

³ कच्चे तेल का महत्वपूर्ण भंडारण शामिल है।

⁴ शहरी गैस संचितरण नेटवर्क शामिल है।

⁵ ऑप्टिक फाइबर/वायर/केबल नेटवर्क, जो ब्राडबैंड/इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं, शामिल हैं।

⁶ चिकित्सा कालेज, पैरा-चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान तथा नैदानिक केंद्र शामिल हैं।

⁷ कृषि तथा संबद्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु खेत स्तर की प्री-कूलिंग हेतु प्रशीतन कक्ष सुविधा शामिल है।

⁸ अधिसूचना की तारीख से संभावित प्रभाव के साथ लागू और अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों के लिए पात्र संभावनाओं हेतु उपलब्ध; पात्र लागत में भूमि की लागत तथा पट्टे के प्रभार शामिल नहीं हैं परंतु निर्माण के दौरान व्याज शामिल है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Infrastructure Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2013

F. No. 13/6/2009-INF.—With the approval of the competent authority, an updated Harmonised Master List of Infrastructure Sub-sectors (**Annexure-I**) is hereby notified.

SHARMILA CHAVALLY, Jt. Secy. (I & E)

Annexure-I

Updated Harmonised Master List of Infrastructure Sub-Sectors

S.No.	Category	Infrastructure Sub-sectors
1	Transport	<ul style="list-style-type: none"> • Road and bridges • Ports¹ • Inland Waterways • Airports • Railway Track, tunnels, viaducts, bridges² • Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)
2.	Energy	<ul style="list-style-type: none"> • Electricity Generation • Electricity Transmission • Electricity Distribution • Oil pipelines • Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility³ • Gas pipelines⁴
3	Water & Sanitation	<ul style="list-style-type: none"> • Solid Waste Management • Water supply pipelines • Water treatment plants • Sewage collection, treatment and disposal system • Irrigation (dams, channels, embankments, etc.) • Storm Water Drainage System • Slurry Pipelines
4.	Communication	<ul style="list-style-type: none"> • Telecommunication (Fixed network)⁵ • Telecommunication towers • Telecommunication & Telecom Services
5.	Social and Commercial Infrastructure	<ul style="list-style-type: none"> • Education Institutions (capital stock) • Hospitals (capital stock)⁶ • Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million. • Common infrastructure for industrial parks, Special Economic Zones, tourism facilities and agriculture markets. • Fertilizer (Capital Investment) • Post-harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage • Terminal markets • Soil-testing laboratories • Cold chain⁷ • Hotels with project cost⁸ of more than Rs.200 crores each in any place in India and of any star rating; • Convention Centers with project cost⁸ of more than Rs. 300 crores each.

¹ Includes Capital Dredging.

² Includes supporting terminal infrastructure such as loading/unloading terminals, stations and buildings.

³ Includes strategic storage of crude oil.

⁴ Includes city gas distribution network.

⁵ Includes optic fibre/ wire/cable networks which provide broadband/internet.

-
- ⁶ Includes Medical Colleges, Para Medical Training Institutes and Diagnostic Centres.
- ⁷ Includes cold room facility for farm level pre-cooling, for preservation or storage of agriculture and allied produce, marine products and meat.
- ⁸ Applicable with prospective effect from the date of notification and available for eligible prospects for three years from the date of notification; Eligible costs exclude cost of land and lease charges but include interest during construction.